न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/24/2022

कुर्सीद पुत्र श्री उसमान जाति मेव निवासी सौमका तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर

.....**प्रार्थी0**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत वाहनसंख्या एच.आर. 28 जी– 0513 जो एफ.आई.आर. संख्या 220/21 पुलिस थाना गोपालगढ द्वारा गौवंश अधिनियम के तहत जप्त की गई है।

उपस्थित :–

1–श्री पंकज कुमार अभिभाषक प्रार्थी,

2–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 12.7.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि मैकस पिकअप गाड़ी संख्या एच.आर. 28 जह– 0513 का जरिये मुख्त्यारनामाखास स्वामी है जो गाडी के असल मालिक आजाद पुत्र अलीमौहम्मद निवासी ग्रांम झारपुरी तहसील फिरोजपुर झिरका तहसील पुन्हाना जिला नूँह से दिनांक 7.1.2021 को निष्पादित कराया है। वाहन का उपयोग प्रार्थी किराये पर माल परिवाहन के लिये करता है। यह कार्य कभी प्रार्थी स्वयं या कभी अपने ड्राईवर इमरान के जरिये कराता है। दिनांक 19.10.2021 को प्रार्थी किसी कारण माल परिवाहन के लिये नहीं जा सका और अपने ड्राईवर इमरान को माल परिवाहन के लिये भेजा उसे सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी अवैधकार्य जैसे अवैध पत्थर गौंवश आदि के परिवाहन में गाडी का उपयोग ना करे। हिदायत देने के बाबजूद गाडी ड्राईवर ने बिना प्रार्थी की जानकारी के अवैध रुप से गौवंश परिवाहन में गाडी का इस्तेमाल किया जिसे थाना गोपालगढ ने दिनांक 20.10.2021 को जरिये एफ.आई.आर. संख्या 220/21 के द्वारा जप्त कर लिया, प्रार्थी को वाहन मालिक होने के कारण गिरफतार कर लिया गया था जिसकी जमानत उच्च न्यायालय जयपुर से हो चुकी है। जप्त वाहन थाना परिसर में खड़ा हुआ है खुले में खड़े रहने से वाहन खराब हो रहा है। प्रार्थी के रोजगार का वाहन एक मात्र साधन

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

है। जिसके जरिये उसके परिवार का भरण पोषण होता है। जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिया जावे, न्यायालय श्रीमान जो भी शर्त तैय करेगा प्रार्थी को स्वीकार होगी। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किया जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, पुलिस थाना गोपालगढ़ से पत्रावली तलब की गई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि उक्त जप्त वाहन का प्रार्थी जरिये मुख्त्यारनामा मालिक है। वाहन का उपयोग प्रार्थी किराये पर माल परिवाहन के लिये करता है। यह कार्य कभी प्रार्थी स्वयं या कभी अपने ड्राईवर इमरान के जरिये कराता है। दिनांक 19.10.2021 को प्रार्थी किसी कारण माल परिवाहन के लिये नहीं जा सका और अपने ड्राईवर इमरान को माल परिवाहन के लिये भेजा उसे सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी अवैधकार्य जैसे अवैध पत्थर गौंवश आदि के परिवाहन में गाडी का उपयोग ना करे। हिदायत देने के बाबजूद गाडी ड्राईवर ने बिना प्रार्थी की जानकारी के अवैध रुप से गौवंश परिवाहन में गाडी का इस्तेमाल किया जिसे थाना गोपालगढ ने दिनांक 20.10.2021 को जरिये एफ.आई.आर. संख्या 220/21 के द्वारा जप्त कर लिया जप्त वाहन थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है, जिसके खुले में खड़े रहने से धूप वर्षात में खराब होने का अन्देशा है। पुलिस को अब उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त जप्त वाहन का प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिया जावे, न्यायालय जो भी शर्त लगायेगा प्रार्थी को स्वीकार होगी। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किया जाकर वाहन सुपुर्दगी में दिया जाने की प्रार्थना की गई।

पैराकार सरकार ए.पी.पी. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी वाहन का मालिक नहीं है, ये मुख्त्यानामा के आधार पर श्रीमान के यहॉ प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेश किया गया है। उक्त वाहन पुलिस थाना गोपालगढ ने एफआईआर नंबर 220/2021 अन्तर्गत धारा 3,5/ 8 राजस्थान गौंवश अधिनियम में जप्त किया हुआ है। उक्त वाहन प्रतिबन्धित गौवंश को राजस्थान से बाहर हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाये जाने पर उक्त धारा में जप्त किया गया है। ए.पी.पी. ने राजस्थान गौवंशीयपशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) संशोधन अधनियम 2018 की धारा 6 व 6क में दिये गये प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि प्रार्थी को जप्त वाहन सुपुर्दगी में नही दिया जा सकता है, उन्होने प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

.....3

जिला कलक्टर
कतपा (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। थाना अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर राज0 से प्राप्त रिपोर्ट अवलोकन किया गया। उक्त वाहन गौवंश तस्करी परिवहन में लिप्त पाये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली कुम्हेर द्वारा गौवंश अधिनियम धारा 5/8 में मु0न0 20/2021 में जप्त किया हुआ है। राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी राज्य/स्थान को निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। गौवंशीय पशु को जप्त वाहन से राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना में अंकित है :–

> ".....जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्धेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपंबधित है..... ।"

इस प्रकार जप्त वाहन गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। हम ए.पी.पी. के तर्को से सहमत हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापिस पुलिस थानाधिकारी कुम्हेर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.7.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर